खास खबरें

गुमशुदगी की जांच में अपहरण का केस दर्ज

नप्र, भोपालः गोविंदपुरा थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 664/26 में धारा 140(3) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है। फरियादी जगदीश रैकवार की पत्नी संगीता रैकवार (34) की गुमशुदगी की जांच के दौरान अपहरण की आशंका पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

अभ्रदता कर मारपीट तीन पर केस

मिसरोद थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 502/26 में धारा 296ए, 115(2), 351(3), 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है। फरियादी धर्मेन्द्र राय की शिकायत पर अतुल सिंह, अक्षत पटेल एवं रंजीत पर गाली-गलौज, मारपीट और धमकी देने का आरोप है। पुलिस जांच कर रही है।

शराब पीकर तोड़फोड़, मारपीट का मामला

मिसरोद थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 503/26 में धारा 296ए, 115(2), 324(2), 351(3), 3(5) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज किया है। फरियादी वर्षा मोहिंग्या ने आरोप लगाया कि विनोद, बड़ा बिट्टू, छोटा बिट्टू और करण ने शराब के नशे में तोड़फोड़, मारपीट और धमकी दी।

बिजली कनेक्शन काटने का झांसा देकर-3.13 लाख ठगे

मिसरोद थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 504/26 में धारा 318(4), 319(2), 308 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है। फरियादी से अज्ञात साइबर ठग ने बिजली कनेक्शन काटने का डर दिखाकर रुपए 3,13,881 ऑनलाइन ठग लिए।

पति पर प्रताड़ना और धमकी का आरोप

महिला थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 342/26 में धारा 85, 351(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है। फरियादी प्रीता विश्वकर्मा (34) ने अपने पति सुभको पर लगातार प्रताड़ित करने और धमकी देने का आरोप लगाया है।

पत्नी की शिकायत पर पति के खिलाफ केस

महिला थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 343/26 में धारा 85, 351(2) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज किया है। फरियादी साहीन (35) ने पति अकरम खान पर प्रताड़ना और धमकी देने का आरोप लगाया है।

रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव

भोपाल। सूखी सेवनिया थाना पुलिस ने मर्ग क्रमांक 39/26 में धारा 194 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई की है। रेलवे लाइन पर करीब 35 वर्षीय अज्ञात युवक की रेल से कटकर मौत हो गई।

दतिया उपचुनाव : मुख्यमंत्री ने रोड शो कर भाजपा प्रत्याशी के लिए मांगा समर्थन

राज्य ब्यूरो नईदुनिया, भोपालः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को दतिया उपचुनाव के तहत भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के समर्थन में दो स्थानों पर रोड शो और जनसभाओं को संबोधित कर जनता से भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील की।

इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा विकास और सुशासन के आधार पर जनता का आशीर्वाद मांगती है, जबकि कांग्रेस केवल विभाजन की राजनीति करती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दतिया में विकास कार्यों को भाजपा सरकार ने नई गति दी है और भविष्य में भी यह सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए दतिया में 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले डिफेंस पार्क और बड़े औद्योगिक प्रकल्प स्थापित किए जाएंगे, जिससे युवाओं, किसानों और महिलाओं को रोजगार एवं विकास के नए अवसर मिलेंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि देशभर में कांग्रेस का जनाधार लगातार घट रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने समाज को जाति और वर्ग के आधार पर बांटने का काम किया, जबकि भाजपा जनकल्याण और विकास की राजनीति करती है। जनसभा में कांग्रेस नेता राजू दांगी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की उपस्थिति में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। दोनों नेताओं ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कुशवाह समाज के सम्मेलन को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने समाज को संगठन और सरकार में उचित प्रतिनिधित्व दिया है। साथ ही कांग्रेस पर समाज की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। दतिया में निकाले गए दोनों रोड शो में बड़ी संख्या में नागरिक, व्यापारी, महिलाएं और युवा शामिल हुए। विभिन्न सामाजिक एवं व्यापारिक संगठनों ने जगह-जगह स्वागत मंच बनाकर मुख्यमंत्री और भाजपा नेताओं का पुष्पवर्षा के साथ स्वागत किया।

भोपाल देहात पुलिस में थानों के प्रभारियों के तबादले

नप्र, भोपालः पुलिस अधीक्षक भोपाल (देहात) पंकज कुमार पाण्डेय ने प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से जिले में पदस्थ पांच पुलिस अधिकारियों के अस्थायी स्थानांतरण आदेश जारी किए हैं। यह व्यवस्था आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगी।जारी आदेश के अनुसार निरीक्षक रामबाबू चौधरी को थाना प्रभारी सुखीसेवनिया से थाना प्रभारी बैरसिया, निरीक्षक नरेन्द्र कुलस्ते को रिजर्व केंद्र से थाना प्रभारी बिलखिरिया, निरीक्षक वीरेन्द्र सेन को थाना प्रभारी बैरसिया से रिजर्व केंद्र तथा निरीक्षक उमेश कुमार चौहान को थाना प्रभारी बिलखिरिया से रिजर्व केंद्र पदस्थ किया गया है। इसी प्रकार उपनिरीक्षक अरुण शर्मा को रिजर्व केंद्र से थाना प्रभारी सुखीसेवनिया की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

अज्ञात कार की टक्कर से बुजुर्ग की मौत

भोपाल। बैरसिया थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 468/26 में धारा 106(1), 281, 125ए बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है। मर्ग जांच में सामने आया कि अज्ञात कार चालक की टक्कर से कल्याण सिंह (60) की मौत हो गई।

एग्री-हॉर्टिकल्चर एक्सपो में मध्यप्रदेश को प्रथम पुरस्कार मुख्यमंत्री ने दी बधाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कृषि एवं उद्यानिकी एक्सपो-2026 में एग्री-हॉर्टिकल्चर सेक्टर में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मध्यप्रदेश को प्रथम पुरस्कार मिला है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस उपलब्धि पर प्रदेश के किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और विभागीय अधिकारियों को बधाई देते हुए इसे राज्य के कृषि और उद्यानिकी क्षेत्र की बड़ी सफलता बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश उद्यानिकी फसलों के उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए राज्य सरकार खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना और उत्पादों के विपणन को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नवाचारों और किसान हितैषी प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है।

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश उद्यानिकी, खाद्य प्रसंस्करण, वैल्यू एडिशन और निर्यात संवर्धन के क्षेत्र में लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उन्होंने पुरस्कार का श्रेय किसानों, उद्यमियों और विभागीय अधिकारियों के सामूहिक प्रयासों को दिया।

25 से 27 जुलाई तक आयोजित इस एक्सपो में कर्नाटक, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान सहित कई राज्यों ने आधुनिक कृषि तकनीकों, जैविक उत्पादों और विभिन्न योजनाओं का प्रदर्शन किया। इन सभी के बीच मध्यप्रदेश की प्रदर्शनी को नवाचार, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा किसानों को खाद्य प्रसंस्करण से जोड़ने के प्रयासों के लिए प्रथम स्थान मिला।

अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में करीब 25 हजार किसानों, वैज्ञानिकों, कृषि विशेषज्ञों और उद्यमियों ने भाग लेकर आधुनिक कृषि एवं उद्यानिकी तकनीकों की जानकारी प्राप्त की। एक्सपो का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों के प्रसार और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना था।

'नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0' जागरूकता कार्यक्रम

स्वस्थ भविष्य के लिए नशे को कहें ना : गौतम

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्रः शहीद हेमू कालानी एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा 'नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0' कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बस चालकों, परिचालकों, केयरटेकर्स और अन्य सहायक कर्मचारियों को नशे के दुष्प्रभावों तथा साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया गया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संतनगर थाना प्रभारी अशोक कुमार गौतम ने कहा कि नशा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आर्थिक विकास को बाधित करता है। उन्होंने कर्मचारियों को नशे पर पैसा बर्बाद करने के बजाय उसे बच्चों की शिक्षा और परिवार की भलाई में लगाने की सलाह दी। साथ ही, उन्होंने संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को देने का आग्रह किया।

साइबर सुरक्षा पर बात करते हुए गौतम ने किसी से भी निजी जानकारी साझा न करने और अनजान लिंक्स से बचने की हिदायत दी। कार्यक्रम के दौरान कर्मचारियों की समस्याओं का भी समाधान किया गया।

कार्यक्रम में स्वागत भाषण प्राचार्या अमृता मोटवानी ने दिया, संचालन अंजलि वार्ष्णेय तथा आभार प्रदर्शन प्राचार्य ए. एन. मणिकंदन ने किया। इस अवसर पर सोसाइटी के सेक्रेटरी घनश्याम बूलचंदानी, ट्रांसपोर्ट मैनेजर विनोद सावलानी सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे।

योग और प्राकृतिक चिकित्सा से स्वस्थ जीवन की पहल, शिविर में संतुलित दिनचर्या पर दिया जोर

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्रः 'स्वस्थ मध्य प्रदेश अभियान' में गुफा मंदिर परिसर में नि:शुल्क योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसका आयोजन संत हिरदाराम योग एवं नेचुरोपैथी कॉलेज, बैरागढ़ तथा नव वसुंधरा श्रृंगार जन कल्याण फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में किया।

कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंगलाचरण से हुआ, जिसके बाद प्रतिभागियों ने प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में योग, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास किया। शिविर में संतुलित आहार, नियमित दिनचर्या, जल सेवन, तनाव प्रबंधन, सूर्यस्नान, जल एवं मिट्टी चिकित्सा जैसे प्राकृतिक उपचारों की जानकारी दी गई। डॉ. वर्षा नाथानी ने कहा कि प्राकृतिक जीवनशैली अपनाकर मधुमेह, उच्च रक्तचाप और तनाव जैसे रोगों से बचा जा सकता है। वहीं नाड़ी वैद्य डॉ. हरेकृष्ण शर्मा ने प्राकृतिक चिकित्सा को संपूर्ण स्वास्थ्य का विज्ञान बताते हुए इसे जीवन में अपनाने पर जोर दिया। आचार्य श्यामवीर जी ने योग और भारतीय संस्कृति के गहरे संबंध को रेखांकित किया।

विज्ञापन शुल्क नहीं चुकाने पर ग्रेसपुल इंडिया ब्लैकलिस्ट, 28.54 लाख की बैंक गारंटी राजसात

नगर निगम ने 5 यूनीपोल जब्त किए, आयुक्त के निर्देश पर हुई कार्रवाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः नगर निगम भोपाल ने विज्ञापन शुल्क का भुगतान निर्धारित समय सीमा में नहीं करने पर मेसर्स ग्रेसपुल इंडिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी रुपए 28.54 लाख की बैंक गारंटी राजसात कर ली है। निगम ने एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने के साथ ही उसके आवंटित पांचों यूनीपोल काटकर जब्त कर लिए हैं।

नगर निगम आयुक्त श्रीमती संस्कृति जैन के निर्देश पर होर्डिंग शाखा द्वारा विभिन्न विज्ञापन एजेंसियों से नियमानुसार विज्ञापन शुल्क की वसूली की जा रही है। समय पर शुल्क जमा नहीं करने वाली एजेंसियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। निगम अधिकारियों के अनुसार, निविदा प्रक्रिया के तहत ग्रेसपुल इंडिया को अयोध्या बायपास रोड पर पांच यूनीपोल के माध्यम से विज्ञापन प्रदर्शित करने का अधिकार दिया गया था। एजेंसी को तय समय के भीतर रुपए 28.54 लाख का विज्ञापन शुल्क निगम कोष में जमा करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन भुगतान नहीं किए जाने पर निगम ने बैंक गारंटी की पूरी राशि राजसात कर ली। इसके साथ ही एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कर उसके आवंटित सभी पांच यूनीपोल हटाकर जब्त कर लिए गए। निगम का कहना है कि भविष्य में भी नियमों का उल्लंघन करने वाली एजेंसियों के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।

दहेज में नकदी और बाइक की मांग, पति पर केस

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः महिला थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 344/26 में धारा 85, 351(2) बीएनएस एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत मामला दर्ज किया है। फरियादी नगमा खान (22) ने पति मुईन खान पर एक लाख रुपये, मोटरसाइकिल और चेन की मांग कर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू अर्जन अधिकारी बेगमगंज जिला रायसेन

दिनांक 17.07.2026

सार्वजनिक सूचना

प्रकरण कमांक 00/1-82/2026-27 चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूयी में खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक्ता है अथवा आवश्यक्ता पडने की संभावना है। उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2/2014/सात/शा 2 ए भोपाल दिनांक 12 नबम्बर 2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है। अतएव निम्न दर्शित भूमि धारको से परियोजना के लिये राज्य सरकार से संबंधित विभाग / उपक्रम में पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति की भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 07 दिवस के भीतर) में आधार सहित प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नही किया जावेगा ।

अनुसूचीः- भूमि का वर्णन

क्रं.	भूमि स्वामी का नाम	ग्राम का नाम	सर्वे क्रमांक	कुल रकबा हे.में	अर्जित रकबा हे. में	प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05	06	07	08
01	मनोज पिता मर्दन सिंह दांगी	मजगवों सानी	33/1	0.466	0.035		
02	मनोज पिता मर्दनसिंह दांगी	मजगवों सानी	5/4	0.478	0.072		
03	गनेश पिता मोतीलाल गौड	मजगवों सानी	2/2	0.661	0.318		
	योग मजगवा सानी	मजगवा सानी	-	1.605	0.425		

सक्षम अधिकारी/भू अर्जन,एवं अनुविभागी अधिकारी (राजस्व)
अनुविभाग बेगमगंज जिला-रायसेन

जी-16347/26

कार्यालय (जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास) भोपाल

राजीव गाँधी भवन, 35 श्यामला हिल्स, भोपाल 462002
E-mail-dotw.bpl@mp.gov.in, ph.0755-2546912
क्रमांक/छात्रावास/2026-27/2049 भोपाल, दिनांक: 15/07/2026

प्रेस नोट-प्रकाशनार्थ

भोपाल जिले में अनुसूचित जाति विकास द्वारा संचालित उत्कृष्ट सीनियर बालक/कन्या छात्रावासों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 में प्रवेशित कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियो को कोचिंग प्रदान करने हेतु योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों से आवेदन आमंत्रित किये जाते है, आवश्यक योग्यता/जानकारी निम्नानुसार है :-

क्रमांक	कक्षा	विषय/संकाय	शैक्षणिक योग्यता
1	9 से 10	गणित, विज्ञान, अंग्रजी	संबंधित विषय में स्नातक एवं बी.एड.
2	11 एवं 12	गणित, जीवविज्ञान, कामर्स	संबंधित विषय में स्नातकोत्तर एवं बी.एड.

इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन जमा दिनांक 31.07.2026 तक कार्यालय सहायक आयुक्त अनुसूचित जाति एवं जनजाति कार्य, राजीव गाँधी भवन, 35 श्यामला हिल्स भोपाल में कार्यालयीन दिवसों में प्रात: 11.00 बजे से शाम 5.00 तक जमा कर सकते है।

सहायक आयुक्त,
जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास भोपाल

जी-16357/26

खंड - I

ई-निविदा आमंत्रण सूचना मध्यप्रदेश शासन

कार्यालय - दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल मध्य प्रदेश

ई-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या/6103/ई-टेंडरिंग/2026-27 दिनांक : 23/07/2026

1. वनमंडलाधिकारी, दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल द्वारा म.प्र. भंडार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथा संशोधित-2022) के अंतर्गत निम्नलिखित ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्रं.	सामग्री/कार्य का नाम	सत्यांकार निधि	निविदा दस्तावेजों का मूल्य
1	वनमण्डल के अंतर्गत सेनेटरी आयटम में उपयोग होने वाली सामग्री क्रय हेतु	24000/-	1000/-

1 निविदा दस्तावेज से संबंधित सभी विवरण ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर नि:शुल्क देखे और डाउनलोड किए जा सकते है।
2. इच्छुक निविदाकार क्रेडिट/डेबिट/कैश कार्ड/इंटरनेट बैकिंग के माध्यम से पोर्टल शुल्क का आनलाईन भुगतान करने के बाद निविदा दस्तावेज को ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर दिनांक 28 जून 2026 शाम 5:00 बजे से निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय तक केवल ऑनलाईन खरीद सकते है।
3. ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर महत्वपूर्ण तिथियों के रूप में उल्लेखित निविदा प्रक्रिया तिथियां लागू होगी।
4. ई-निविदा आमंत्रण सूचना में शुद्धिपत्र/परिशिष्ट, यदि कोई हो केवल पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा, समाचार पत्रों में नहीं।
6. ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल: https://www.mptenders.gov.in/

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल

जी-16338/26

कार्यालय मुख्य अभियंता (भवन) लोक निर्माण विभाग निर्माण भवन, प्लाट नं.-27-28, अरेरा हिल्स, भोपाल

एनआईटी नं.-20/2026/निविदा/सा/मु.अ.भ./ भोपाल दिनांक 20.07.2026

निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाईन निविदा पंजीकृत ठेकेदारों अथवा पंजीयन हेतु उपयुक्त पात्रता वाली प्रतिष्ठित फर्म से आमंत्रण की जाती है:-

स. क्र.	पोर्टल टेंडर क्रं.	कार्य का नाम	जिला	ठेके की अनुमानित राशि (पीएसी) (रू. लाख में)	अमानत राशि (ईएमडी) (रू. में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रू. में)	कार्य पूर्ण करने का समय (माह में वर्षाकाल सहित)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2026_PWPIU_522851_1	लोक निर्माण विभाग (भवन) सीहोर में निर्माण कार्यों हेतु आर्किटेक्चरल डिजाईन एवं डीपीआर कंसलटेंट कार्य।	सीहोर	100.00	100000	12500	12 माह वर्षाकाल सहित

1 निविदा से संबंधित बिड डॉक्यूमेंट बेवसाईट http://mptenders.gov.in पर बिना भुगतान के देखे एवं डाउनलोड किये जा सकेंगे।
2 निविदा प्रपत्र का मूल्य ऑन लाईन पोर्टल पर क्रेडिट/डेबिट/कैशकार्ड/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान कर निविदा प्रपत्र खरीदा जा सकेगा।
3 निविदा प्रपत्र केवल ऑन लाईन दिनांक 20.07.2026 समय 10.30 से दिनांक 05.08.2026 समय 05.30 तक खरीदा जा सकेगा। सूचना व अन्य जानकारी बेबसाईट पर देखी जा सकती है।
4 निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन उपरोक्त बेवसाईट पर ही दर्ज किये जायेंगे, पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

मुख्य अभियंता (भवन)
लोक निर्माण विभाग भोपाल

जी-16365/26

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र-1, गोमतिका परिसर, जवाहर चौक भोपाल

आम सूचना

हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, गैस राहत कालोनी, करोंद, बैरसिया रोड, भोपाल में स्थित दुकान क्रमांक-07 (भू तल) मण्डल द्वारा श्रीमती नौशीन फातमा पत्नी श्री तहजीबुल हसन के नाम से आवंटित है। उक्त सम्पत्ति का विक्रय विलेख पंजीयन कार्यालय से दिनांक 17/10/2018 को पंजीकृत है। श्रीमती नौशीन फातमा पत्नी श्री तहजीबुल हसन द्वारा उक्त सम्पत्ति श्री मुबारिज अंसारी आत्मज श्री अब्दुल अलीम अंसारी को विक्रय विलेख के माध्यम से विक्रय किया गया, जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय में दिनांक 22/07/2026 को पंजीकृत किया गया है। क्रेता/विक्रेता द्वारा आवेदन, शपथ पत्र, संयुक्त शपथ पत्र, विक्रय विलेख की छायाप्रति एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करते हुये उक्त सम्पत्ति श्री मुबारिज अंसारी आत्मज श्री अब्दुल अलीम अंसारी के नाम से हस्तांतरित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त दस्तावेजो के आधार पर उक्त सम्पत्ति का हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी/ संस्था/ वित्तीय संस्था इत्यादि को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप में मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि समाप्त होने के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह नि. एवं अधो. वि. म. प्रक्षेत्र-1 भोपाल

1096

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र-1, गोमतिका परिसर, जवाहर चौक भोपाल

आम सूचना

हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, गैस राहत कालोनी, करोंद, बैरसिया रोड, भोपाल में स्थित दुकान क्रमांक-08 (भू तल) मण्डल द्वारा श्री हबीबुल हसन आत्मज श्री हसीबुल हसन के नाम से आवंटित है। उक्त सम्पत्ति का विक्रय विलेख पंजीयन काय कार्यालय से दिनांक 25/10/2024 को पंजीकृत है। श्री हबीबुल हसन आत्मज श्री हसीबुल हसन द्वारा उक्त सम्पत्ति श्री मुदब्बिर अंसारी आत्मज श्री अब्दुल अलीम अंसारी को विक्रय विलेख के माध्यम से विक्रय किया गया, जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय में दिनांक 22/07/2026 को पंजीकृत किया गया है। क्रेता/विक्रेता द्वारा आवेदन, शपथ पत्र, संयुक्त शपथ पत्र, विक्रय विलेख की छायाप्रति एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करते हुये उक्त सम्पत्ति श्री मुदब्बिर अंसारी आत्मज श्री अब्दुल अलीम अंसारी के नाम से हस्तांतरित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त दस्तावेजो के आधार पर उक्त सम्पत्ति का हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी/संस्था/वित्तीय संस्था इत्यादि को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप में मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि समाप्त होने के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह नि. एवं अधो. वि. म. प्रक्षेत्र-1 भोपाल

1095

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू अर्जन अधिकारी बेगमगंज जिला रायसेन

दिनांक 14.07.2026

सार्वजनिक सूचना

प्रकरण कमांक 00/3-82/2026-27- चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची में खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक्ता है अथवा आवश्यक्ता पडने की संभावना है। उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ12-2/2014/सात/शा 2 ए भोपाल दिनांक 12 नबम्बर 2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है। अतएव निम्न दर्शित भूगि धारको से परियोजना के लिये राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम में पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति की भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 07 दिवस के भीतर) में आधार सहित प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के, पश्चात् प्राप्त आपत्तियो पर विचार नही किया जावेगा।

क्रं.	भूमि स्वामी का नाम	ग्राम का नाम	सर्वे क्रमांक	कुल रकबा हे.में	अर्जित रकबा हे. में	प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05	06	07	08
01	मोहन पिता हल्कई	पिपलिया वखतसिह	78/3	1.016	0.023	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग	बेगमगंज सागर मार्ग (SH-86 A) से महुआखेडाकलां, गोरखा,पडरिया, राजाधार,से सिलवानी सागर (SH-15) मार्ग निर्माण
02	महाराज सिंह पिता बालाप्रसाद	पिपलिया वखतसिह	78/2	1.206	0.460		
03	अरविंद आ. दयाराम	पिपलिया वखतसिह	78/1	0.453	0.322		
04	अजुद्वी पिता निर्भय सिह	पिपलिया वखतसिह	69/1	0.809	0.110		
			कुल	3.484	0.915		

सक्षम अधिकारी/भू अर्जन
एवं अनुविभागी अधिकारी (राजस्व)
अनुविभाग बेगमगंज जिला-रायसेन

जी-16328/26